समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

–: आदेश :–

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 15/आ0प्र0, दिनांक 19.06.2014 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 01– सूखा लघु शीर्ष–105– पशु चिकित्सा – उप शीर्ष – 0001 – पशुओं के लिए दवा, विपत्र कोड एन0 – 2245011050001 मद में मो0 – 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को उपावंटित किया जाता है।

आवंटित राशि का शीर्ष विवरणी निम्नप्रकार है :–

मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 01– सूखा लघु शीर्ष–105– पशु चिकित्सा – उप शीर्ष – 0001 – पशुओं के लिए दवा, विपत्र कोड एन0 – 2245011050001, युनिट कोड–31–06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मांग सं0 39

उपावंटन की शर्ते :–

(1) यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 01– सूखा लघु शीर्ष–105– पशु चिकित्सा – उप शीर्ष – 0001 – पशुओं के लिए दवा मद में उपावंटित किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है ।

(3) यह आवंटन सुखाड़ के मद्देनजर निर्गत किया जा रहा है।

(4) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होंगे।

(5) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रीम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को दिनांक 15.03.15 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(6) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/–
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 254 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 05.8.14 /

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि :– DIO मधेपुरा को जिले के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

05/08/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।